

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विभाग में पंजीकृत व्यापारियों का GST में Migration हेतु GSTN द्वारा उपलब्ध कराये गये Provisional ID एवं Password को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्बंधित व्यापारी को उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। कतिपय व्यापारियों द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके द्वारा PAN के अपडेशन के पश्चात उनको परिवर्तित PAN पर Provisional ID प्राप्त नहीं हुयी है। इसके अतिरिक्त कई व्यापारियों को Provisional ID प्राप्त होने के उपरान्त RC Cancelled का message आ रहा है। इन समस्याओं के समाधान हेतु GSTN द्वारा अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

2- उक्त माइग्रेशन कार्य के संदर्भ में मुख्यालय के पत्र संख्या 977 दिनांक 10-01-2017 द्वारा फील्ड के सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी कि वह अपने सेक्टर के ऐसे व्यापारियों की सूचना जिनके Provisional ID तथा Password व्यापारी द्वारा वांछित पैन पर generate नहीं हुए हैं उनका पैन अपडेट करते हुए सूचना निम्न प्रारूप में (Excel file में) जोनवार संकलित करते हुए मुख्यालय के ई-मेल ctithqlu-up@nic.in पर प्रेषित करें :-

Sr.No.	Registration Number (TIN)	Type of Registration	Existing PAN	Provisional ID	New PAN	Legal Name as Per New PAN			Trade Name
						First Name	Middle Name	Last Name	

उक्त के सन्दर्भ में निर्देशित किया जाता है कि यदि वर्तमान में उपरोक्त प्रकरण से सम्बंधित जिन व्यापारियों का वांछित पैन पर Provisional ID तथा Password उपलब्ध नहीं हुआ है उनकी सूचना उक्त निर्धारित प्रारूप में दिनांक 26-11-2017 तक प्रत्येक दशा में अन्तिम रूप से मुख्यालय के ई-मेल ctithqlu-up@nic.in पर (Excel file में) जोनवार संकलित करते हुए प्रेषित करना सुनिश्चित करें (Scan copy ग्राह्य नहीं होगी)।

3- ऐसे व्यापारी जो कि Activate/Migrate हो चुके हैं उनका GST Portal पर कतिपय कारणों से RC cancelled प्रदर्शित हो रहा है उनका डाटा निम्न प्रारूप में Restoration हेतु प्रेषित किया जाये :-

Sr.No.	Registration Number (TIN)	Provisional ID	Legal Name as Per PAN			Trade Name
			First Name	Middle Name	Last Name	

उक्त के सन्दर्भ में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण से सम्बंधित सूचना उक्त निर्धारित प्रारूप में दिनांक 26-11-2017 तक प्रत्येक दशा में अन्तिम रूप से मुख्यालय के ई-मेल ctithqlu-up@nic.in पर (Excel file में) जोनवार संकलित करते हुए प्रेषित करना सुनिश्चित करें (Scan copy ग्राह्य नहीं होगी)। समस्त अधिकारी स्वयं data check करें जिससे पुनः कोई त्रुटि PAN, Legal name, Trade name में न रह जाए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि हेल्प डेस्क के माध्यम से व्यापारी/व्यापार मण्डल/अधिवक्ताओं को सूचित कर दें कि सम्बंधित व्यापारी उक्त तिथि से पूर्व डाटा सम्बन्धित खण्डाधिकारी को उपलब्ध करा दें।

उल्लेखनीय है कि उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त उपरोक्त प्रकरणों से सम्बंधित कोई भी डाटा मुख्यालय पर ग्राह्य नहीं होगा। दिनांक 26-11-2017 के उपरान्त यदि उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने के कारण कोई पंजीकृत व्यापारी जी0एस0टी0 व्यवस्था में माइग्रेशन हेतु शेष रह जाता है तो उसका उत्तरदायित्व सम्बंधित व्यापारी का ही होगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

(मुकेश कुमार मेथ्राम)

कमिशनर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।